न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 12/2019

1 बाबूलाल पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी गढ़ला कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 माडूराम पुत्र धूकलराम।
2 प्रभातीलाल पुत्र माडूराम समस्त जाति जाट निवासीगण गढ़ला कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 शिशराम पुत्र हीराराम।
4 महेन्द्र कुमार पुत्र हीराराम समस्त जाति मेघवाल निवासी गढ़लाकला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 उप पंजियक कार्यालय उप तहसील गुढ़ा गौडजी जिला झुझुनू।
6 तहसीलदार महोदय उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2019
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी बाबूलाल
बनाम माडूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 216/2016
बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मुफरिम अन्सारी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भैरूसिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 216/2016 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अदालत मातहत में इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट/वादी एवं रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 धुकलराम के पौत्र व पुत्र है। ग्राम गढ़लाकलां की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 118,119,284,285,289/1 कुल किता 5 कुल रकबा 4.27 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसकी खातेदारी रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 01 व रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम से है। रेस्पोडेंट संख्या 1 को उक्त भूमि अपने पिता से पैतृक रूप से प्राप्त हुई है। उपरोक्त वर्णित भूमि स्वर्गीय धूकलराम की सम्पति थी, स्व. धूकलराम के फौत होने पर यह रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। अपीलांट स्व. धूकलराम का पौत्र होने के कारण से उक्त भूमि में वादी का हक व हिस्सा है। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में सजा कर रखी है। वे अपीलांट/वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से वादपत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि को बाला बाला रूप से रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर दी है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित भूमि सम्पूर्ण भूमि में अपीलांट/वादी का 1/3 हिस्सा भूमि है तथा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 व रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/3 हिस्सा है। इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने से अपीलांट/वादी को उसके हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व हिस्से से महरूम करना चाहते है। अंत में निवेदन किया है कि ग्राम गढ़लाकलां की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 118,119,284,285,289/1 कुल किता 5 कुल रकबा 4.27 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्से का अपीलांट/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामल हेतु प्रतिवादी संख्या 6 को आदेशित किया जावें। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें, भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक नही करें। वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की तरफ से वकील ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब दावा पेश किया जिसमें अपीलांट/वादी का उक्त वर्णित भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां पैतृक है विरासत से इनमें मेरा कुल भूमि में 1/3 हिस्सा है विचारण न्यायालय ने कुल भूमि में विक्रय के उपरान्त शेष बची भूमि में मुझे 1/3 की खातेदारी दी है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार कर अपीलांट को 1/3 हिस्से का खातेदार कुल भूमि में से घोषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि उन्हे अपीलांट का 1/3 हिस्सा घोषित करने में कोई आपत्ति नही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गढ़लाकलां सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 118,119, 284,285,289/1 कुल किता 5 कुल रकबा 4.27 हैक्टेयर अपीलांट की पैतृक भूमि है। इस भूमि में अपीलांट का 1/3 हक हिस्सा है विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने इस सम्बंध में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर स्वीकार किया है कि इस भूमि में अपीलांट का 1/3 हक हिस्सा है। वादी का वाद स्वीकार करने में उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर इसी अनुसार मौके पर विभाजन का भी अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय वाद पत्र एवं जवाब दावे की मंशा के अनुसार पारित नही किया है। अत विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं वादी अपीलांट को विवादित भूमि ग्राम गढ़लाकलां की भूमि खसरा नम्बर 118,119,284,285,289/1 कुल किता 5 कुल रकबा 4.27 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त भूमियों में से किसी पक्षकार ने भूमि विक्रय की है तो विक्रित रकबा उसके हिस्से में से कम कर दिया जायेगा। पक्षकार यदि विभाजन चाहते है तो नये सिरे से धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन का वाद लाने के लिए स्वतंत्र है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर